मिसिल संख्या ओ-17034/5/2012–मुद्रणालय

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

बी-विंग, निर्माण भवन

नई दिल्ली, दिनांकः 20 फरवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

भारत का राजपत्र, मुद्रण निदेशालय के अधीन भारत सरकार की विभिन्न प्रैसों में मुद्रित किया जाता है। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि मुद्रित किए जाने वाली सामग्री, भारत सरकार की संबंधित प्रैस द्वारा सॉफ्ट कॉपी के साथ ही हार्ड कॉपी में स्वीकार की जाती है ताकि इसे राजपत्र में शीघ्र मुद्रित किया जा सके और साथ ही ई-गजट की वैबसाईट अर्थात "egazzette.nic.in" से डिजीटल रूप में अद्यतन किया जा सके।

अतः, सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि मुद्रित की जाने वाली सामग्री की सॉफ्ट कॉपी के साथ ही हार्ड कॉपी प्रदान करें और वह इस आशय का प्रमाणपत्र मुहैया करें कि सॉफ्ट कॉपी के साथ ही हार्ड कॉपी समान हैं एवं इन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

पृष्ठ का प्रारूप निम्नानुसार होः-

1. क्योंकि अधिसूचना द्विभाषी रूप में मुद्रित होती है, जिसमें शुरू में हिंदी संस्करण होता है, प्रथम पृष्ठ की सॉफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी अर्थात हिदी संस्करण राजपत्र की अधिसूचना आदि के शीर्ष के अंतर्वेशन के लिए ऊपर से 11 सेमी. (4.25 इंच) का अंतराल देते हुए प्रदान किया जाए।
2. नॉन-स्क्रिप्टस फॉन्ट जैसे चाणक्य, क्रुति-देव, मंगल आदि हिंदी फॉन्ट का आकार 12 प्वाइंट और अंग्रेजी फॉन्ट का आकार 10 प्वाइंट में रखते हुए नॉर्मल लीडिंग में प्रदान किया जाए।
3. मुद्रण क्षेत्र अर्थात कंपोज्ड मैटर इस प्रकार नियत किया जाए ताकि पृष्ठ (मैटर) की चौड़ाई 18 सेमी. (7 इंच) और इसकी ऊंचाई दूसरे पृष्ठ के बाद से 24 सेमी. (9.5 इंच) से अधिक न हो। पहले पृष्ठ के लिए 11 सेमी. (4.25 इंच) सहित अधिकतम कुल ऊंचाई, जैसा पैरा 1 में उल्लेख किया गया है, भी 24 सेमी. (9.5 इंच) से अधिक न हो।

4. ऊपर दिए गए विनिर्देशनों से अलग हार्ड कॉपी/सॉफ्ट कॉपी को स्वीकार नहीं किया जाएगा और मुद्रण में विलंब की जिम्मेदारी संबंधित प्रैस की नहीं होगी।
5. अधिसूचना की सॉफ्ट कॉपी संबंधित प्रैस को ई-मेल के माध्यम से अग्रेषित की जा सकती है और इसे अंतिम कॉपी माना जाएगा।
6. ई-मेल के पते संलग्न हैं।

1 अप्रैल, 2013 से कोई भी हार्ड कॉपी, उल्लिखित सॉफ्ट कॉपी और प्रमाणपत्र के बिना स्वीकार नहीं की जाएगी।

संलग्नक: **अनुलग्नक**

(ए. के. सिन्हा)
निदेशक (मुद्रण)
ई-मेल: a.k.sinha03@nic.in
दूरभाष: 011-23061413

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग के सचिव

प्रतिलिपि:-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. उपाध्यक्ष सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली
5. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली
6. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, नई दिल्ली
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग. नई दिल्ली
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग. नई दिल्ली
9. निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली
10. सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव/मुख्य प्रशासक
11. सचिव, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय
12. रजिस्ट्रार (पंजीयक), उच्चतम न्यायालय, भारत
13. रजिस्ट्रार (पंजीयक), उच्च न्यायालय

14. निदेशक (तकनीकी), एनआईसी, शहरी विकास मंत्रालय को शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइटें -www.urbanindia.nic.in और मुद्रण निदेशालय www.dop.gov.in पर अपलोड करने के लिए
15. प्रकाशन नियंत्रक, शहरी विकास मंत्रालय, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 को प्रकाशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड और संदेश फ्लैश करने के अनुरोध के साथ
16. योजना आयोग
17. भारत निर्वाचन आयोग
18. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
19. सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ सार्वजनिक उद्यम
20. निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)
21. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, शहरी विकास मंत्रालय
22. मुद्रण निदेशालय के उप निदेशक/सहायक निदेशक

<u>अनुलग्नक</u>

क्र.सं.	मुद्रणालय का नाम और पता	ई-मेल पता
1	भारत सरकार मुद्रणालय रिंग रोड, मायापुरी नई दिल्ली-110064	may-gipprr@.nic.in
2	भारत सरकार मुद्रणालय मिंटो रोड नई दिल्ली-110002	gip-mr@nic.in
3	भारत सरकार मुद्रणालय एन.आई.टी. फरीदाबाद-121001	fbd-gippr@nic.in
4	भारत सरकार मुद्रणालय गांधी नगर, नासिक (महाराष्ट्र)	nsk-gippr@nic.in